



ऑन लाईन नं. RCMS2020/00121

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर.ए.एस.  
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 33/2020

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री मांगीलाल पुत्र श्री मोहनलाल खटीक —नमूना विक्रेता एवं मालिक—  
मै० रायल स्वीट हाउस, दुकान नम्बर 27, बस स्टेण्ड रोड़, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर —जिला श्रीगंगानगर।

निवासी :- वार्ड नं.10, केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरनपुर, जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ० धारा 26 उपधारा (2)(2)/51 खाद्य सुरक्षा  
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 03.11.2020

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.03.2020 को दोपहर बाद 1.00 बजे श्री प्रवीण खत्री, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के साथ वास्ते निरीक्षण मैसर्स रायल स्वीट हाउस, दुकान नम्बर 27, बस स्टेण्ड रोड़, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर —जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे। वहां पर श्री मांगीलाल पुत्र श्री मोहनलाल खटीक वार्ड नं.10, केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरनपुर, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिसने स्वयं को मैसर्स रायल स्वीट हाउस का मालिक होना बताया। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर उक्त स्वीट हाउस निरीक्षण किया तो काउण्टर में रखी एलुमिनियम की एक ट्रे में लगभग 2 किलोग्राम पनीर (PANEER) ग्राहको को सर्व करने हेतु रखा बताया। मिलावट/नकली का शक होने पर नमूना जॉच K-1033 के नमूनीकरण के लिये ट्रे में से 1 किलोग्राम पनीर (PANEER) विधि अनुसार खरीदा जिसकी कीमत 250/-रु० (अखरे रूपये दौ सौ पचास मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा गवाहान श्री ओमप्रकाश एवं श्री प्रवीण खत्री के हस्ताक्षर हैं एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार किया,



*amp*  
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर



ऑन लाईन नं. RCMS2020/00121

खाद्य कारोबारकर्ता मांगीलाल पुत्र श्री मोहन लाल खटीक एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा **पनीर (PANEER)** को बराबर बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक की बोतलों में भरकर एवं उनमें परिरक्षक मिलाकर उनके ढक्कनों को कसकर बंद किया एवं टेप चिपकाई। इसके बाद इन चारों नमूना भागों पर लेबल चिपकायें एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक **K-1033** एवं अन्य विवरण दर्ज किया। प्रत्येक नमूना कोड पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप **K-1033** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार 4-4 जगह मोड़कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता ने पढ़कर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/550/एक्ट/2020/616 दिनांक 20.03.2020 नमूना **K-1033** **पनीर (PANEER)** अमानक स्तर **SUBSTANDARD** होना पाया गया है। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त मांगीलाल पुत्र श्री मोहनलाल खटीक निवासी वार्ड नं.10, केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरनपुर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **पनीर (PANEER)** 26(2)(2)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.09.2020 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी अपनी दुकान मैसर्स रायल स्वीट हाउस, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग से एक नोटिस क्रमांक 1104 दिनांक 21.09.2020 का दिया है कि आपकी दुकान में **पनीर (PANEER)** की जांच की गई तो **SUBSTANDARD** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **पनीर (PANEER)** में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **पनीर (PANEER)** का सैम्पल के-1033 जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/550/एक्ट/2020/616



amp.  
श्री. प्रियंका कलेक्टर (श्रीगंगानगर)  
श्रीगंगानगर



दिनांक 20.03.2020 द्वारा **SUBSTANDARD** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा 26(2)(2)/51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रुपये की शारिर्त का प्रावधान है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी अपनी दुकान मैसर्स रायल स्वीट हाउस, केसरीसिंपुर तहसील श्रीकरनपुर का मालिक है। प्रार्थी को आपके विभाग से एक नोटिस क्रमांक 1104 दिनांक 21.09.2020 का दिया है कि आपकी दुकान में पनीर (**PANEER**) की जांच की गई तो **SUBSTANDARD** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त पनीर (**PANEER**) में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।


बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 20.03.20 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(2)/51 का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात पनीर (**PANEER**) विक्रेता एफएसएसए-2006 की धारा 31(2) की श्रेणी में आता है। अभियुक्त मांगीलाल पुत्र श्री मोहनलाल खटीक, नमूना विक्रेता एवं मालिक -पर **SUBSTANDARD** के तहत पनीर (**PANEER**) का विक्रय करने पर धारा 26(2)(2)/51 के तहत 1.0000/-रुपये (अखरे रुपये दस हजार मात्र) शारिर्त अधिरोपित की जाती है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त पनीर (**PANEER**) का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में पनीर (**PANEER**) के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डा. राजेंद्र सोनी)  
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)  
श्रीगंगानगर।